राजस्थान–सरकार

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी आशीष मोदी (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 01 / 2023 प्रार्थना पत्र

उनवान

प्राधिकृत अधिकारी – आवास फाईनेंसियर्स लिमिटेड (पूर्व नाम ए.यू. हाउसिंग फाईनेंस लि0) कार्यालय 201–202, 2 द्वितीय तल, साउथ एण्ड स्क्वायर, मानसरोवर इण्डस्ट्रीयल एरिया, जयपुर

—— प्रार्थी

बनाम

1. श्री रतन लाल जांगीड पुत्र मांगी लाल जांगीड निवासी 57 सुथारों का मोहल्ला, पालड़ी, पं0स0 सुवाणा, जिला भीलवाड़ा
2. श्रीमती कमला देवी सुथार पत्नि रतन लाल सुथार निवासी 57 सुथारों का मोहल्ला, पालड़ी, पं0स0 सुवाणा, जिला भीलवाड़ा वगैरह।

——अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

प्राधिकृत अधिकारी – श्री महेन्द्र सिंह चौहान।

निर्णय

दिनांक : 13.02.2023

प्राधिकृत अधिकारी आवास फाईनेंसियर्स लिमिटेड (पूर्व नाम ए.यू. हाउसिंग फाईनेंस लि0) कार्यालय 201–202, 2 द्वितीय तल, साउथ एण्ड स्क्वायर, मानसरोवर इण्डस्ट्रीयल एरिया, जयपुर की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 प्रस्तुत किया गया, जिसमें उपस्थित होकर निवेदन किया कि प्रार्थी के द्वारा अप्रार्थी को ऋण सुविधा प्रदान की गयी थी, जिसमें अप्रार्थी को 6,00,000/– रूपये का ऋण दिनांक 06.09.2014 को स्वीकृत किया गया। उक्त ऋण के पेटे में प्रतिभूति के बतौर भूमि व भवन जो अचल सम्पति – **श्री रतन लाल सुथार पुत्र मांगी लाल सुथार का एक आवासीय मकान नपती 19'3'' फीट गुणा 80 फीट कुलिया 1544 वर्गफीट, जो कि पट्टा संख्या 04 पालड़ी, ग्राम पंचायत पालड़ी, पं0स0 सुवाणा, जिला भीलवाड़ा में अवस्थित है, के आवासीय मकान का पंजीकृत पट्टा विलेख दिनांकित 16.06.2014 जो कि उप पंजीयक कार्यालय भीलवाड़ा–प्रथम में दिनांक 13.08.2014 को पुस्तक संख्या 01, जिल्द संख्या 210, पृष्ठ संख्या 79 क्रम संख्या 2014009158 पर पंजीबद्ध है, जिसके पड़ौस पूर्व–श्याम सिंह दरोगा, पश्चिम–आम रास्ता, उत्तर–सुरेश चन्द्र सुथार, दक्षिण–रामेश्वर सुथार** (बैंक में उपलब्ध रिकार्ड अनुसार) रहन रखी गयी। दिनांक 11.01.2022 तक कुल बकाया ऋण की राशि 5,37,303.41/– रूपये है। अप्रार्थी के द्वारा तयशुदा शर्तों के मुताबिक प्रार्थी द्वारा दिए गए ऋण का भुगतान नहीं किया गया।